POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2020/अंक 12

मासिक प्रेषण दि. 8 दिसम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 दिसम्बर, 2020 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम ! देश में कोरोना महामारी का वायरस अभी भी फैला हुआ है। इसके चलते सभी ने दीपावली का त्योहार बहुत ही सावधानी से मनाया होगा।

इस वर्ष के दौरान देश के अनेक नागरिकों ने बड़ी हिम्मत के साथ कोरोना को हराया है। हमारे कोरोना वॉरियर्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। सभी बधाई के पात्र हैं। वहीं, कई लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना की जंग में हारकर अपने प्राण गवां बैठे। मैं अपनी एवं 'ग्रामगदर' परिवार की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं।

कई राज्यों में यह महामारी फिर से जोर पकड़ रही है। जब तक इससे निपटने के लिए कोई वैक्सीन एवं दवा तैयार नहीं होती तब तक सभी को पूरी सावधानी बरतनी है। मास्क लगाना, दो गज की दूरी और हाथों को धोते रहना ही बचाव के एक मात्र उपाय हैं। पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस महामारी ने देश के 130 करोड़ निवासियों को हर दृष्टिकोण से बुरी तरह प्रभावित किया है। फिर भी दुनिया की कोरोना वायरस से जंग में भारत अग्रणी है। सरकार और देश के नागरिक दोनों मिलकर हर तरीके से इसका मुकाबला करने के लिए काम कर रहे हैं।

पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा आम लोगों के लिए घोषित भारी भरकम आर्थिक पैकेज, आत्मनिर्भर भारत पैकेज एवं कृषि व श्रम जैसे कई क्षेत्रों में किए गए सुधार आगे चलकर काफी सम्बल प्रदान करेंगे। महामारी से निजात दिलाने के लिए हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ वैक्सीन की तैयारी और उसके परीक्षण में जुटे हैं।

इसके बाद सभी लोगों तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, यह भी तय करना है। जरूरत यह है कि सभी सरकारी घोषणाओं का क्रियान्वयन भ्रष्टाचार रहित, योजनाबद्ध एवं जवाबदेह तरीके से किया जाए और इसकी निगरानी के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म बने।

पानी की बर्बादी पर अब एक लाख जुर्माना व हो सकती है जेल

हरकत में आया प्राधिकरण

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पिछले साल अक्टूबर में पानी की बर्बादी रोकने की मांग वाली याचिका की सुनवाई की थी। उस मामले में एनजीटी के आदेश की पालना करते हुए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने यह आदेश जारी किया है।

अब पीने के पानी की बर्बादी या दुरुपयोग दंडनीय अपराध हो गया है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा इस संबंध में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। इसके अनुसार भूजल संसाधनों का दोहन कर निकाले गए पेयजल की बर्बादी पर अब पांच साल की जेल या एक लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। सीजीडब्ल्यूए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है।

सीजीडब्ल्यूए के आदेशों के अनुसार जल बोर्ड, जल निगम, वाटर वर्कर्स डिपार्टमेंट, नगर निगम, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, पंचायत या किसी भी अन्य जो पेयजल सप्लाई संभालता है, यह सुनिश्चित करेंगे कि भूजल से मिलने वाले पेयजल की बर्बादी नहीं हो। इसके लिए एक सिस्टम विकसित करना होगा और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक उपाय किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति भू-जल स्त्रोत से हासिल पीने के पानी की बर्बादी नहीं कर सकता है।

बैंक ने दस्तावेज खोए, देना होगा ढाई लाख का हर्जाना

जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच (जयपुर तृतीय) में शिव प्रसाद गुप्ता ने आईडीबीआई बैंक के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 में आईडीबीआई बैंक से मकान बनाने के लिए ऋण लिया था। इसके लिए प्लाट के मूल दस्तावेज बैंक के पास अमानत के तौर पर रखे थे। उन्होंने वर्ष 2011 में लिया गया पूरा ऋण ब्याज सहित अदा कर दिया। इस पर बैंक ने उन्हें नो-ड्यूज प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया।

बैंक से जब जमा कराए गए प्लाट के मूल दस्तावेज वापस मांगे तो बैंक अधिकारी टालमटोल करते रहे। अधिकारियों ने पहले तो दस्तावेज मुम्बई कार्यालय में होने की बात कही। बैंक में काफी चक्कर लगाने के बाद अधिकारियों ने दस्तावेज गुम हो जाना बताया। प्लाट के नए दस्तावेज बनवाने पर उन्हें अतिरिक्त धनराशि खर्च करनी पड़ी। उन्होंने बैंक से खर्च की गई राशि मांगी तो बैंक प्रशासन ने देने से इनकार कर दिया।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने गिरवी रखे दस्तावेज गुम करने को बैंक का सेवा दोष माना। मंच ने आईडीबीआई बैंक को आदेश दिए कि वह शिव प्रसाद गुप्ता को दो लाख पचास हजार रुपए बतौर हर्जाना अदा करे। साथ ही दस्तावेज गुम होने के कारण खर्च हुए 33 हजार रुपए भी उन्हें ब्याज सहित भुगतान करे।

किचन गार्डन में उगाई सब्जियां स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण - 'कट्स'

स्वस्थ जीवन के लिए जैविक खाद्य पदार्थ अति आवश्यक है। जैविक खाद्य पदार्थ जैविक खेती से प्राप्त होते हैं। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए समय समय पर 'कट्स' इंटरनेशनल द्वारा स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कंजर्वेशन के आर्थिक सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के तहत रसायन युक्त जहरीली सब्जियों एवं फलों से बचने का सन्देश दिया जाता है तथा जन समुदाय को जैविक खेती के लिए प्रेरित किया जाता है। महिलाओं को घरों में किचन गार्डन विकसित करने की भी प्रेरणा दी जाती है।

'कट्स' द्वारा जयपुर स्थित विकासोन्मुख संस्थान, नरेना के सहयोग से वार्ड नंबर 80 व 96 (ग्रेटर) अयोध्या नगर, गोपालपुरा बाईपास व मदरामपुरा, सांगानेर, क्षेत्र की महिलाओं के साथ ग्रीन एक्शन वीक 2020 के तहत किचन गार्डनिंग की गतिविधियां आयोजित की गई थीं। जिसका फॉलोअप मीटिंग के तहत घर-घर जाकर सत्यापन किया गया। कार्यक्रम में किसान कॉल सेंटर से आए अमित शर्मा ने महिलाओं को किचन गार्डन में सब्जियां लगाने में आने वाली परेशानियोंह्वएवं रोग से बचाव आदि की जानकारी दी।

संस्थान सचिव राजेश मालाकार ने बताया कि यह गतिविधियां सतत् प्रक्रिया का हिस्सा है। इन दोनों क्षेत्रों की महिलाओं की समस्याओं के निदान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर निरंतर समाधान किया जाएगा। विजिट के दौरान 'कट्स' के राजदीप पारीक, आराधना गुप्ता एवं कार्यक्रम समन्वयक शारदा सैनी भी मौजूद थे।

तेजी से आगे बढ़ रहा है राजस्थान

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान कुपोषण दूर कर सतत् विकास लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारी खाद्य सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सराहना पूरे देश में होती है।

कोरोना संकट के समय राजस्थान सतर्क है तथा 'कोई भूखा न सोए' हमारा मूल मंत्र रहा है। बच्चे देश का भविष्य हैं, वे स्वस्थ होंगे तो देश समृद्ध बनेगा। सरकार खाद्य सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी प्रतिबद्धता के साथ निभा रही है। उन्होंने राजस्थान सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यू.एफ.पी.) के बीच हुए एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

राज्य विधानसभा में नए कृषि बिल पास

राजस्थान विधानसभा में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ तीन नए कृषि बिल पास हो गए। इसके अलावा मास्क अनिवार्य करने और किसानों की 5 एकड़ तक कृषि भूमि कुर्क न करने का बिल भी पास हो गया। भाजपा ने इन्हें किसान विरोधी बताते हुए वॉकआउट किया।

नए कृषि बिलों के मुताबिक अगर कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग में किसान को एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) से नीचे फसल बेचने पर मजबूर किया जाता है तो 3 से 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी लगेगा। केंद्रीय कानून में कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग एक्ट में किसानों और कंपनियों के बीच विवाद होने पर केवल एसडीएम तक ही केस लड़े जाने का प्रावधान है, जबकि प्रदेश के नए कानून के तहत किसान सिविल कोर्ट में भी जा सकेगा।

प्याज संग्रहण को लेकर नई तकनीक

प्रदेश के श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर (जयपुर) में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे धार के दादला गांव के युवक रवि पटेल की प्याज संग्रहण को लेकर अपनाई गई नई तकनीक किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी। उन्हें विश्वविद्यालय ने स्टार्टअप के लिए चयनित किया है।

रवि पटेल नई तकनीक पर आधारित 10 हजार टन क्षमता का प्याज सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाएगा। रवि ने प्याज को नीचे से हवा देने की तकनीक विकसित की है। इस तकनीक से प्याज को 12 माह तक सुरक्षित रखा जा सकेगा।

हकदार किसानों को नहीं मिला लाभ

प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ करीब तीन लाख से ज्यादा गरीब किसानों को नहीं मिल पाया है। योजना के तहत वास्तविक रूप से पात्र होने के बावजूद ये किसान प्रशासन की उदासीनता के चलते आर्थिक सम्बल को तरस रहे हैं।

जबकि 63 हजार 936 किसानों ने करदाता होने के बावजूद इस योजना के तहत गैरवाजिब तरीकों से करीब 57 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि उठा ली। इन अपात्रों पर मेहरबानी इस कदर है कि उनसे अब तक नाम मात्र की भी वसूली नहीं हो पाई है।

गरीबी स्तर से नीचे जाने का डर

कोरोना महामारी के चलते देश में करीब 40 करोड़ आबादी के गरीबी स्तर से नीचे जाने का डर है। पिछले दिनों नीति आयोग ने स्थिति में सुधार के लिए मंत्रालयिक स्तर पर बैठक रखी थी, जिसमें यूएनडीपी की भी मौजूदगी रही। इस बैठक में गरीबी को देश में कम करने और इसके लिए वैकल्पिक सुधार पर भी चर्चा की गई।

गौरतलब है कि नीति आयोग देश में गरीबी मापने के लिए खुद का पॉवर्टी इंडेक्स बनाने जा रहा है। इसका उद्देश्य जीएमपीआई के साथ मिलकर राज्यों में गरीबी कम करना है। पॉवर्टी इंडेक्स का लक्ष्य देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन-सहन के स्तर को बेहतर करना है। भारत में 2014 में 36.3 करोड़ लोग गरीब थे।

जननी सुरक्षा योजना की नई गाइडलाइन

प्रदेश में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए कई सालों से चल रही जननी सुरक्षा योजना की नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिसके अनुसार अब न्यूनतम 50 पलंग क्षमता और 80 स्क्वायर फीट प्रति पलंग की उपस्थिति वाले अस्पतालों को ही इस योजना से संबद्ध किया जाएगा। यह ही नहीं अनुमति चाहने वाले अस्पतालों को पहले से आयुष्मान बीमा योजना से संबद्धता भी अनिवार्य होगी।

इससे प्रदेश में खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में इस योजना से संबद्ध अस्पतालों की संख्या कम होने की आशंका है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत अस्पताल में प्रसव कराने पर प्रसूता को निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है। गांवों में ऐसे अस्पताल नहीं होने पर प्रसव के लिए शहरों की ओर दौड़ लगानी पड़ सकती है।

किसानों को मिल सकती है खाद सब्सिडी

किसानों को मंडी के बाहर फसल बेचने के लिए कृषि कानून बनाने के बाद केंद्र सरकार अब जल्द ही एक नया कदम उठा सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की सफलता को देखते हुए अब सरकार किसानों को खाद सब्सिडी देने का फैसला लेने पर विचार कर रही है।

मुख्य दर निर्धारण समूह कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएपीसी) ने इसके लिए केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि किसानों को हर साल पांच हजार रुपए सीधे खाते में उर्वरक सब्सिडी के रूप में देने चाहिए। हालांकि, प्रति हैक्टेयर पर कितनी सब्सिडी दी जाए, इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। फिलहाल सीएसीपी की ओर से औसतन प्रति किसान 5000 रुपए देने का सुझाव है।

घातक है बालविवाह की परम्परा

भारत में बाल विवाह अपराध है, फिर भी यह कुरीति देश के कई हिस्सों में अभी भी व्याप्त है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में एक तिहाई किशोरियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। नतीजतन उच्च मृत्युदर, कुपोषित मां कुपोषित बच्चे जैसी कई संभावनाएं बढ़ गई हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 15 से 19 वर्ष की आयु की 8 प्रतिशत महिलाए मां बन जाती हैं। राजस्थान में यह आंकड़ा 6 फीसदी है। स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए 18 से कम उम्र में किशोरियां शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं होती। इससे गर्भपात की संभावना बढ़ती है।

विद्युत उपभोक्ता क्षमता निर्माण परियोजना का समापन

जैसा कि 'ग्राम गदर' 2020 के पहले अंक में 'विद्युत उपभोक्ता क्षमता निर्माण' (सीबीसी) परियोजना के दूसरे चरण के बारे में जानकारी दी गई थी। दिनांक 31 सितम्बर 2020 को इस परियोजना का पूर्ण समापन हो गया है। इस परियोजना का संचालन 'कट्स' इंटरनेशनल और 'बास्क रिसर्च फाउंडेशन' द्वारा 'शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन' के सहयोग से किया गया है।

अंतिम चरण में इस परियोजना के तहत राजस्थान के चार जिलों (चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, धौलपुर और बीकानेर) में 778 विद्युत उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य बिजली की सेवा गुणवत्ता से संबंधित जमीनी प्रमाण एकत्रित करना और बिजली वितरण कंपनियों के प्रदर्शन पर जानकारी प्राप्त करना था।

इस सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा से संकेत मिलता है कि कई घरों में अभी भी बिजली का कनेक्शन नहीं है या स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट की गई श्रेणी में हैं। साथ ही यह भी पता चला कि उपभोक्ताओं के समक्ष बिलिंग, मीटरिंग और विद्युत वितरण कंपनियों के बुनियादी ढांचे का मुद्दा सबसे आम है।

इसके अतिरिक्त भी कई जानकारियां हैं जो आप हमारे वेब पेज https://cuts-ccier.org/capacity-building-of-electricity-consumers-in-rajasthan-cbec/ से प्राप्त कर सकते हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर